छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*शिकायत प्रकरण क्रमांक 943/2007*</u>

1. श्री रामरतन एवं अन्य, – *शिकायतकर्ता*
ग्राम–बाकल, थाना–लालबाग,
विकासखण्ड–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* – *अनावेदक*
ग्राम पंचायत–बाकल, थाना–लालबाग,
विकासखण्ड–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 06 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री रामरतन, पंच एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–बाकल, जिला–राजनांदगांव के समक्ष दिनांक रहित आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पर उन्हें समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 17.12.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । शिकायत में यह लिखा गया है कि उनसे शुल्क की अधिक राशि की मॉग की गई है और उनके द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों तथा निराश्रितों की पेंशन राशि का भुगतान आदि की जानकारी मॉगी गई थी। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी श्री रामरतन स्वयं एक पंच भी है, चूंकि राशि अधिक मॉगा जाना प्रतीत होता है, जिसमें पृष्ठ भी नहीं बताया गया है, अतः आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि 15 दिवस में संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे यदि उससे अधिक की चाहे तो निर्धारित शुल्क लेकर प्रदान की जावे, किन्तु उक्त आदेश का पालन नही होने से सचिव, ग्राम पंचायत–बाकल को विलंब के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 20.05.2009 को प्रस्तुत किया गया। सचिव ने अपने उत्तर में यह बताया है कि राशि 3200/– रूपये जमा करने के संबंध में लिखित में जानकारी दी गई थी और यह भी बताया कि आवेदन के साथ राशि 10/– रूपये का शुल्क भी जमा नहीं किया गया था, जिसके कारण वह जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि आवेदकों को राशि 10/– रूपये शुल्क जमा कराने के लिए कहा, किन्तु उन्होंने जमा करने से मना कर दिया और इसके विपरीत उन पर जानकारी देने के लिए राजनैतिक दबाव डालते रहे। प्रस्तुत उत्तर में उनके द्वारा यह कहीं नहीं कहा गया है कि आयोग के निर्देश के बाद भी उन्होंने निःशुल्क निरीक्षण क्यों नहीं कराये और राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क क्यों नहीं दी। उन्होंने बाद में दिनांक 07.03.2009 को एक पत्र जारी करना बताया, जिसमें आवेदक को निःशुल्क निरीक्षण के लिए बुलाया गया था, किन्तु अपीलार्थी ने आने से इंकार कर दिया। प्रकरण में उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए विलंब के लिए सचिव को पूर्णतः दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आयोग के निर्देश मिलने के बाद काफी विलंब से अपीलार्थी को पत्र भेजा गया था, अतः धारा–20(1) के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत, बाकल, जिला–राजनांदगॉव पर जानकारी देने में किये गये विलंब के कारण दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

साथ ही अब प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगॉव को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आयोग के निर्देशानुसार संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और राशि 100/— रूपये तक की जानकारी दिलवाया जाना सचिव से सुनिश्चित करायें। प्रकरण में मजदूरों की मजदूरी का कम भुगतान कराये जाने संबंधी शिकायत की गई है, अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में जॉच करें और जॉच उपरांत जो भी कार्यवाही नियमानुसार हो की जावे। प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री रामरतन को विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा—19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 300/— रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com